MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2005

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Election Commission (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Election Commission (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Election Commission (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"7. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2005) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.5000-150-8000.	Non-selection.	No.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion : Staff Car Driver Grade – I with three years' regular service in the grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two year, whichever is less, or have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (1) Secretary (Administration) or Principal Secretary (Administration) – Chairman. (2) Under Secretary (Administration) –	Not applicable.

				Deputation: Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis. Note 1.- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation, similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

Annexure-A

रजिस्ट्री सं. डी एल-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2005/वैशाख 10, 1927
No. 177] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2005/VAISAKHA 10, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 253(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचन आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचन आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में, क्र. सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"7. स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2005) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु0	अचयन

6	7	8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसा स्टॉफ कार चालक श्रेणी - 1 जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो कम हो से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं । टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :- 1. सचिव (प्रशासन) या प्रधान सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन)- सदस्य	लागू [illegible]

11	12	13	14
	टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		